न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 177/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. कैलाश जाट पुत्र श्योराम जाट जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा तन करड तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — **28.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 537 लगायत 541 किता 5 कुल रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादी का 1/3 हक हिस्से का काबिज काश्तकार है। वादी के पिताजी का स्वर्गवास वादी जब सालभर का था तभी हो गया था तब वादी के हक में विरासत का नामान्तकरण गांव परिवार के लोगो कहे अनुसार वादी का नाम प्रहलाद पुत्र श्योराम के नाम से भरकर राजस्व रिकार्ड में उसके अनुसार दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी प्रार्थी का जब स्कूल में प्रवेश करवया गया तो प्रार्थी का नाम कैलाश जाट पुत्र श्योराम के नाम से करवा दिया गया प्रार्थी को बचपन से ही प्रहलाद तथा कैलाश दोनों नामों से गांव परिवार रिश्तेदारों में जाना पहचना जाता है, जबकि प्रार्थी के स्कूल रिकार्ड में शैक्षणिक दस्तावेज तथा परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड में सर्विस रिकार्ड में कैलाश जाट पुत्र श्योराम नाम दर्ज है जबकि उपरोक्त वर्णित आराजियात उसाका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से प्रहलाद पुत्र श्योराम दर्ज आ रहा है। जो कि गलत है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

वादी का नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से कैलाश जाट पुत्र श्योराम के स्थान पर प्रहलाद पुत्र श्योराम दर्ज हो गया जो गलत है। प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित है वादी का सही व वास्तविक नाम कैलाश जाट पुत्र श्योराम है। जो सही व दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय में गये तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 537 लगायत 541 किता 5 कुल रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम प्रहलाद पुत्र श्योराम के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम कैलाश जाट पुत्र श्योराम उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम प्रहलाद पुत्र श्योराम के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम कैलाश जाट पुत्र श्योराम उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि वादी कैलाश पुत्र श्योराम जाट की जमाबन्दी कृषि भूमि खसरा नम्बर 537 ता 541 में दर्ज नाम प्रहलाद पुत्र श्योराम की जांच की गयी तो ग्राम चौपाल पर उपस्थित ग्रामवसियों से पुछताछ कर पाया गया कि कैलाश पुत्र श्योराम का बचपन में प्रहलाद पुत्र श्योराम के नाम से जाना जाता था। अत ग्रामवासीयों के आधार पर प्रहलाद पुत्र श्योराम एवं कैलाश पुत्र श्योराम एक ही व्यक्ति है तथा इनका नाम राशन कार्ड पैन कार्ड बैंक पास बुक आधार कार्ड आदि में कैलाश जाट पुत्र श्योराम जाट अंकित हैं अतः इनका नाम राजस्व रिकार्ड में ही कैलाश जाट पुत्र श्योराम जाट अंकित किये जाने की अभिशंषा की जाती है। सहखातेदार

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रामपाल पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा के बयान लिये गये जसमें बताया कि कैलाश जाट पुत्र श्योराम जाट मेरा सहखातेदार तथा पड़ोसी है। कैलाश पुत्र श्योराम का नाम गलत रूप से प्रहलाद पुत्र श्योराम दर्ज है। प्रहलाद जाट का नाम दुरूस्त कर सही नाम कैलाश पुत्र श्योराम दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयान तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 537 लगायत 541 किता 5 कुल रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम प्रहलाद पुत्र श्योराम के स्थान पर प्रहलाद उर्फ कैलाश जाट पुत्र श्योराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

कैलाशजाट बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 28.10.2020

मुकदमा नं0 177 / दावा सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री आनन्द राड़** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 537 लगायत 541 किता 5 कुल रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम प्रहलाद पुत्र श्योराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर प्रहलाद उर्फ कैलाश जाट पुत्र श्योराम सशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.10.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत ...	--	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	--	--	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	--	--	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	--	--	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार) दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ